

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 236 / 2013 / बाडमेर
2. अपील संख्या 237 / 2013 / बाडमेर
3. अपील संख्या 238 / 2013 / बाडमेर
4. अपील संख्या 239 / 2013 / बाडमेर
5. अपील संख्या 240 / 2013 / बाडमेर
6. अपील संख्या 241 / 2013 / बाडमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्त बाडमेर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स ध्रुव एजेन्सी,
राय कॉलोनी, बाडमेर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक ।
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.
निर्णय दिनांक : 21.11.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये छः अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए धारा 61 की शास्ति अपास्त किये जाने को विवादित किया है।

क्र.सं.	अ.सं.	अपी.अधि. की अ.सं.	वर्ष	क.नि.आ.दिनांक	शास्ति
1	236 / 13	37 / आरवेट	2006-07 u/s26	07.02.2012	31,300
2	237 / 13	36 / आरवेट	2007-08 u/s26	07.02.2012	68,860
3	238 / 13	35 / आरवेट	2008-09 u/s26	07.02.2012	94,046
4	239 / 13	34 / आरवेट	2009-10 u/s26	07.02.2012	1,74,702
5	240 / 13	33 / आरवेट	2010-11 u/s25	07.02.2012	3,09,046
6	241 / 13	32 / आरवेट	2011-12 u/s25	07.02.2012	63,068

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावे।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करने पर पाया कि व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री की गई है। जिसके संबंध में रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी माल पर 4 प्रतिशत / 5 प्रतिशत वैट संग्रहीत किया जाना पाया गया। आलौच्य अवधियों में विक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की श्रेणी में आने तथा वैट अनुसूची-चतुर्थ के तहत करयोग्य न होकर वैट अनुसूची-पंचम के तहत सामान्य कर दर से करयोग्य होना मानते हुये व्यवहारी द्वारा किये गये कृत्य को करवंचना की श्रेणी में पाया तथा इस पर अन्तर कर, ब्याज एवं धारा 61 के अधीन शास्ति आरोपण बाबत नोटिस जारी किया।

4. सक्षम अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किये जाने पर पाया कि व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जा रहे प्रोडक्ट्स अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 के अनुरूप Sugar

लगातार.....2

31

Candy made of Sugar & Glucose but excluding coco नहीं है बल्कि यह ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है, क्योंकि विक्रीत माल पर ऐसा ही अंकित पाया गया। व्यवहारी द्वारा विक्रीत माल पर 4 प्रतिशत/5 प्रतिशत से ही कर संग्रहीत करते हुए राजकोष में जमा कराया गया है। आलोच्य अवधियों में अनुसूची V के तहत सामान्य कर दर से करयोग्य माल होने के बावजूद व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा गलत निर्वचन किया गया तथा बिक्री विवरणियों में कर दर की गलत घोषणा कर राजकोष में कम कर अदा करते हुए कर परिवर्जन व अपवंचन किया जाना प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी ने व्यवहारी को अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये एवं प्रस्तुत जवाब से अंसतुष्ट होते हुये अन्तर कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया गया।

5. उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गईं। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुये अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार की गईं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा शास्तियों के बिन्दुओं पर ये अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

7. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2006 के द्वारा अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 जोड़ी गई थी, जो निम्न प्रकार से थी :-

"154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pastries, confectionery excluding chocolates "

दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना द्वारा Confectionery से पूर्व unbranded शब्द जोड़ा गया, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी स्वतः ही प्रविष्टि संख्या 154 से बाहर हो गई एवं अनुसूची-पंचम के अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य हो गई। उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य का प्रकरण उद्धरित करते हुए कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पर सामान्य कर दर से आरोपित कर एवं इस पर ब्याज आरोपण की पुष्टि की है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी यथावत रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है।

8. शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताते हुए विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा विवादित क्रय-विक्रय संब्यवहारों का इन्द्राज अपनी लेखा पुस्तकों में सही कर दर मद में विधिवत रूप से नहीं किया गया है, जिससे प्रत्यर्थी की कर चोरी की मंशा होने से सशक्त अधिकारी ने उचित रूप से धारा 61 के तहत जो शास्तियों का आरोपण किया गया था जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर अविधिक आदेश पारित किया है। अतः उन्होंने शास्तियों को पुनः बहाल करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया है।

9. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा किये गए समस्त क्रय एवं विक्रय संब्यवहार उनकी लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट हैं जिससे प्रत्यर्थी की इसमें कर चोरी की मंशा सिद्ध नहीं होती है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :- वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लि0 (12) 32 टीयूडी पृष्ठ 3, वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बम्बीनो एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0 (2016) 90 वीएसटी पृष्ठ 22 में माननीय राजस्थान उच्च

लगातार.....3

3

न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 21.04. 2009 प्रकरण श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC) के निर्णय दृष्टव्य है।

10. अधिकृत प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि चूंकि उक्त प्रकरण वस्तुओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित है तथा तदनुरूप कर दर मतभिन्नता से सम्बन्धित होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सन्दर्भित निर्णय के आलोक में जबकि व्यवहारी ने समस्त बिक्री विवरणियों में दर्शायी है, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। उन्होंने उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

11. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

12. प्रस्तुत अपीलें विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दुओं पर प्रस्तुत की गई हैं। प्रत्यर्थी द्वारा किए गए समस्त क्रय एवं विक्रय संव्यवहार उनकी लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट हैं एवं प्रत्यर्थी की इसमें करवंचना की मंशा सिद्ध नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC) के प्रकरण में पारित निर्णय दृष्टव्य है। जिसका निम्नलिखित अंश उल्लेखनीय है :-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption, penalty cannot be imposed. The penalty levied stands are aside."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CTO Vs Bambino Agro Industries Ltd.(2016) 90 VST 22 Raj. के प्रकरण में दिये निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-


"As noticed earlier, admittedly, it is not a case where the assessee was not paying any tax. The claim was that it falls in the category where rate of tax is applicable at four per cent. only whereas the claim of the Revenue was that it is taxable on account of falling in different entry at 12.5 per cent. but admittedly all the transactions stood recorded, disclosed and the respondent-assessee paid due tax at four per cent. on the entire goods. Payment of four per cent. on the entire turnover has been accepted and admitted by the AO himself, not only that the AO has accepted the entire turnover also.


Taking note of the facts, noticed earlier and the judgments referred to hereinbefore, in my view, merely because a higher rate of tax has been made applicable, does not call for imposition of penalty under section 61 of the Act. Accordingly, I do not find any perversity or ambiguity in the order impugned so as to call for interference."

13. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण भी वस्तुओं के वर्गीकरण तथा तदनुरूप कर दर मतभिन्नता से सम्बन्धित है तथा विवादित माल के बिक्री संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज होना विवादित नहीं है, अतः उपर्युक्त संदर्भित निर्णयों के प्रकाश में आरोपित शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। तदनुरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश पुष्टि योग्य हैं एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

14. परिणामस्वरूप विभाग द्वारा प्रस्तुत सभी छः अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

15. निर्णय सुनाया गया।


(ओ.एस.आशिया)
सदस्य


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य